(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 18/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 22 जून, 2016

विषयः– प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए अतिरिक्त मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2016 (1 अक्तूबर, 2015 से 30 सितम्बर, 2016 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए गैर–उपकर (मुक्त बिक्री) कोटे में से खांड (98 डिग्री पोल पर) के 1,146 मीट्रिक टन (एक हजार एक सौ छियालिस मीट्रिक टन) की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करते हैं। इस अतिरिक्त आवंटन के साथ अमरीकी राजकोषीय वर्ष, 2016 के दौरान अमेरिका को टीआरक्यू के तहत चीनी के निर्यात की मात्रा निम्नानुसार होगीः–

सार्वजनिक सूचना सं0 और तारीख	आबंटित चीनी की मात्रा (मीट्रिक टन)
सार्वजनिक सूचना सं0 41 दिनांक 13.10.2015	8,414
सार्वजनिक सूचना सं0 66 दिनांक 21.03.2016	723
सार्वजनिक सूचना सं0 18 दिनांक 22.06.2016	1,146
कुल	**10,293**

2. अधिसूचना सं0 3/2015–20, दिनांक 20.4.2015 में 'प्रतिबंधों का स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात 'मुक्त' है। उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की जाने वाली आवश्यकता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण–पत्र यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 30.9.2016 तक खांड निर्यात किए जाने के लिए 1,146 मीट्रिक टन (एक हजार एक सौ छियालिस मीट्रिक टन) की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित कर दिया गया है।

अजय भल्ला

(अजय कुमार भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/879/एएम 08/निर्यात सैल/पार्ट से जारी)